

प्रेषक,

शिव प्रकाश गुप्त,  
संघीकरण संचित,  
उत्तर प्रदेश शासन।

तेवा में

संचित  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,  
शिक्षा केन्द्र-2, सफ्टवेय केन्द्र,  
प्रीति विद्यार, नईदिल्ली।

शिक्षा १७१ अनुभाग

लेखनक्र: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2004

विषय:- न्यू एन्जिल्स सीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रतापगढ़ ३०५० को सी०बी०स०५० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापात्त प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

मठोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर जावला ध्यान आगृहित लरते हुए मुझे यह लहरै का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विधालय जो सी०बी०स०५० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापात्त प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार जो निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपात्त नहीं है :-

- 1.1 विधालय की प्रिंजीकृत तौसाथी का सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 1.2 इसके लिए उब्द संविति में इसका निर्देशक द्वारा नार्वित एवं सदस्य होगा।
- 1.3 विधालय में क्रम से कम 10 प्रतिवात स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भैयाची बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०५०मा०शिक्षा परिषद्/बैतिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विधालयों में विभिन्न छाइयों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- 1.4 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बैतिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल स्टर्टिफिकेट इकामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०५०मा०शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

—2—

  
Shaheda  
MANAGER  
NEW ANGELS SR. SEC. SCHOOL  
PRATAPGARH, U.P.

- 15। संस्था के शैक्षिक स्वं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजनीय सदायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से तां वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सदायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का नाम उपाख्य कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा सभ्य मणि पर्यायों में भी अन्वेषण निर्गत किये जायेंगे तंस्था उनला पालन करेगी ।
- 18। विधालय का रिलाई निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार लैबूर्वार्नमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 20। विधालय द्वारा एक माह में अप्रशिक्षित अध्यापक के स्थान पर प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त कर लिये जायेंगे ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्यक यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिक्षिकाता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दापस ने लिया जायेगा ।

भवदीप,

। शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

पूर्वोत्तर दिनांक त्वैव



प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुननार्थ स्वं आवश्यक लार्याही हैतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय तंयुक्त शिक्षा निदेशक, झलाहालाबाद ।
- 3- जिला विधालय निरीक्षक, प्रतापगढ़ ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विधालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, न्यू इंजिल्स टीनियर सेकेन्डरी स्कूल प्रतापगढ़ ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा ते,

। शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।

*Shaheda*  
MANAGER  
NEW ANGELS SR. SEC. SCHOOL  
PRATAPGARH, U.P.